न्यायालय उपखंड अधिकारी बीदासर

पीठासीन अधिकारी श्योराम वर्मा आर.ए.एस.

1. पृथ्वीराम पुत्र मेवाराम जाति मेघवाल निवासी उडवाला तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
2. छगनलाल पुत्र हीरालाल जाति मेघवाल निवासी सुजानगढ तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान

वादीगण

बनाम

1. जुवाराराम पुत्र मघाराम जाति बावरी निवासी हरिनगर तहसील बीदासर जिला चूरू
2. जीवणराम पुत्र बुधाराम जाति मेघवाल निवासी हरिनगर तहसील बीदासर जिला चूरू
3. रामूराम पुत्र बुधाराम जाति मेघवाल निवासी हरिनगर तहसील बीदासर जिला चूरू
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर।

प्रतिवादीगण

संयुक्त खातेदारी के विभाजन का वाद अंतर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53

उपस्थिति

1. श्री ज्ञानाराम चौधरी वकील वादीगण
2. श्री रघुवीर भामू वकील प्रतिवादी संख्या 2 व 3
3. पैरोकार राज

लगातार 2 पर........

उपखण्ड अधिकारी बीदासर

न्यायिक अधिकारी बीदासर (चूरू)
राष्ट्रीय लोक अदालत

सदस्य
लोक अदालत
बीदासर

Scanned by CamScanner

निर्णय

दिनांक 12/3/22

वाद मे संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नंबर 1035 तादादी 6.7532 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम लगान 6.7532 रूपया रोही ग्राम हरिनगर तहसील बीदासर जिला चूरू मे स्थित है। वादगत खेत मे वादी संख्या 1 का 1/8 हिस्सा वादी संख्या 2 का 1/8 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है। वादीगण तथा प्रतिवादीगण ने वादगत खेत का अर्सा करीबन 5 वर्ष पहले मौखिक विभाजन किया। मौखिक विभाजन के मुताबिक वादगत खेत मे से दक्षिण साईड से 1/8 हिस्सा भूमि वादी संख्या 1 के कज्बा काश्त उपयोग उपभोग मे चली आ रही हैं। उससे उतर मे 1/8 हिस्सा भूमि वादी संख्या 2 के कब्जा काश्त मे चली आ रही है। तथा उससे उतर मे 1/4 हिस्सा मे प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग मे चली आ रही है। तथा उससे उतर मे 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग मे चली आ रही हैं । वादी संख्या 1 द्वारा अपनी हिस्सा पांति भूमि पर तारबंदी की हुई है। तथा वादी संख्या 2 द्वारा भी अपनी हिस्सा पांति भूमि पर तारबंदी कर पक्के मकानात निर्मित किये हुये है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का खान पान लेनदेन अलग अलग है। परन्तु उपरोक्त वर्णित भूमि राजस्व रिकार्ड मे संयुक्त दर्ज होने से वादीगण को सरकारी योजनाओ का लाभ प्राप्त करने मे भारी परेशानी होती है। इसलिये वादीगण के लिये आवश्यक हो गया है कि वह वादगत खेत मे से अपनी अपनी हिस्सा पांति की भूमि का मौखिक विभाजन के मुताबिक न्यायालय से विभाजन करवाकर लगान का विभाजन करवाये। वादीगण ने प्रतिवादीगण से काफी बार निवेदन किया परन्तु प्रतिवादीगण इंकार हो गये। इसलिये उपरोक्तानुसार वादीगण की उपरोक्तानुसार हिस्सा भूमि का विभाजन कर अलग अलग खातो मे दर्ज किया जावे व उसी अनुसार लगान कायम किया जावे की प्रार्थना की गई आदि आदि प्रस्तुत किया।

वाद दर्ज रजिस्ट्रर होकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 बाद तामील हाजिर अदालत न आने पर उनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 की और से रघुवीर भामू एडवोकेट ने वकालत नामा पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा अपने जबाव मे प्रस्तुत वाद के कुछ तथ्यो से इंकार किया। तथा पैरोकार राज तहसीलदार ने अपने जबाव मे कोई राजहित नही होना जाहिर किया। दिनांक 03.03.2022 को वादी संख्या 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने राजीनामा पेश किया जिसके अनुसार उपरोक्त खसरा नंबर 1035 मे उतरी तरफ की 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 3 रामूराम के हिस्सा पांति कब्जा काश्त की होना अंकित किया। तथा रामूराम से दक्षिण तरफ 1/4 हिस्सा भूमि पश्चिम से पूर्व लंबी प्रतिवादी संख्या 2 जीवणराम की कब्जा काश्त की होना अंकित किया। तथा जीवणराम से दक्षिण की 1/4 हिस्सा भूमि पूर्व से पश्चिम लंबी जुवाराराम के कब्जा काश्त की होना अंकित किया।

लगातार 2 पर..............

न्यायिक अधिकारी बीदासर (चूरू)
राष्ट्रीय लोक अदालत
12/3/22

सदस्य
लोक अदालत
बीदासर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

तथा जुवाराराम से दक्षिण तरफ की 1/8 हिस्सा भूमि वादी संख्या 2 छगनलाल के कब्जा काश्त की है। छगनलाल से दक्षिण की 1/8 हिस्सा भूमि वादी संख्या 1 पृथ्वीराम के हिस्सा पांति कब्जा काश्त की अंकित की है। तथा उपरोक्तानुसार पक्षकारान ने अपनी अपनी हिस्सा पांति भूमि पर पुख्ता सींवे कायम कर रखी है। तथा राजीनामा के साथ एक नजरी नक्शा भी पेश किया। जिसमे उपरोक्तानुसार अलग अलग हिस्सा पांति भूमि दर्शायी गयी है। तथा पक्षकारान ने उपरोक्त राजीनामा के आधार पर उपरोक्त भूमि का विभाजन करने का निवेदन किया।

तथा साक्ष्य मे खसरा नंबर 1035 की जमाबंदी सम्वत् 2076 – 79 की नकल जो प्रदर्श ए है तथा खसरा नंबर 1035 का नक्शा प्रदर्श बी को प्रस्तुत किया व वादी संख्या 2 छगनलाल के बयान करवाये गये जिसमे वादी न उपरोक्त राजीनामा के तथ्यो को दोहराया बहस वकील वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण मे वादगत खेत खसरा नं. 1035 तादादी 6.7532 हैक्टैयर रोही हरिनगर तहसील बीदासर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के संयुक्त खातेदारी मे होना जमाबंदी सम्वत् 2076 – 79 से प्रमाणित है। तथा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वादीगण 1 ता 2 व प्रतिवादीगण 2 ता 3 अपने अपने हिस्सा पांति की भूमि का अलग अलग विभाजन करवाकर अलग लगान कायम कराने के अधिकारी है।

आदेश

वादीगण का वाद राजीनामा के आधार पर इस प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है कि रोही हरिनगर मे खेत खसरा संख्या 1035 तादादी 6.7532 हैक्टेयर के दक्षिणी साईड की 1/8 हिस्सा भूमि वादी संख्या 1 पृथ्वीराम पुत्र मेवाराम जाति मेघवाल निवासी उडवाला के नाम अलग खाता बनाकर अलग खसरा दर्ज किया जावे। तथा वादी संख्या 1 से उतर मे 1/8 हिस्सा भूमि का खाता अलग कर वादी संख्या 2 छगनलाल पुत्र हीरालाल जाति मेघवाल निवासी सुजानगढ के नाम अलग खसरा दर्ज किया जावे। तथा वादी संख्या 2 छगनलाल से उतर साइड की 1/4 हिस्सा भूमि का खाता अलग कर प्रतिवादी संख्या 1 जुवाराराम के नाम अलग खसरा दर्ज किया जावे। तथा जुवाराराम से उतर साइड की 1/4 हिस्सा भूमि का खाता अलग कर प्रतिवादी संख्या 2 जीवणराम पुत्र बुधाराम जाति मेघवाल निवासी हरिनगर के नाम अलग खसरा किया जावे। तथा जीवणराम से उतर की 1/4 हिस्सा भूमि का खाता अलग कर प्रतिवादी संख्या 3 रामूराम पुत्र बुधाराम जाति मेघवाल निवासी हरिनगर के नाम अलग खसरा दर्ज किया जावे। तदनुसार लगान का विभाजन किया जावे। तथा नक्शा मे उपरोक्तानुसार तरमीम की जावे। इसी प्रकार अंतिम डिक्री जारी होकर पालना हेतु तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। निर्णय आज दिनाक 12/3/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला (चूरू)

न्यायिक अधिकारी बीदासर (चूरू)
राष्ट्रीय लोक अदालत
12/3/22

सदस्य
लोक अदालत
बीदासर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner